

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2012/चैत्र 1, 1934

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 325

No. 52]

DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2012/CHAITRA 1, 1934

[ N.C.T.D. No. 325

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 21 मार्च, 2012

फा. सं. 21(03)/2012/एल.ए.एस.-IV/लेग/2130.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली विनियोग ( संख्या 1 ) विधेयक; 2012

[ विधेयक संख्या ( 03 ) 2012 ]

( जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 21 मार्च, 2012 को पुरःस्थापित किया गया )

वर्ष 2011-2012 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक ।

भारत गणराज्य के तरेसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग ( संख्या 1 ) अधिनियम, 2012 है ।

2. 983,67,30,000 रुपयों का वर्ष 2011-2012 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए नौ सौ तिरयासी करोड सठसठ लाख तीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2011-2012 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।

3. विनियोजन.—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	Social Welfare	Revenue	5468625	—	5468625
		Capital	4324250	—	4324250
9	Industries	Revenue	313463	87	313550
		Capital	33800	—	33800
10	Development	Revenue	3692707	393	3693100
		Capital	782400	100	782500
11	Urban Development and Public Works	Revenue	14828425	100	14828525
	Public Debt.	Capital	13528525	—	13528525
		Revenue	—	8250000	8250000
		Capital	—	3250000	3250000
12	Loans	Capital	6250	—	6250
13	Pensions	Revenue	312500	—	312500
<b>Total</b>			<b>65576584</b>	<b>11848416</b>	<b>77425000</b>

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (1) of Section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of Section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the additional expenditure charged on the Consolidated Fund made by the Legislative Assembly for the expenditure of the Government of National Capital Territory of Delhi. In pursuance of the afore-mentioned provisions of the said Act, it is proposed to introduce the Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012 for the expenditure of the Government of National Capital Territory of Delhi for the months of April to June, 2012, in the Legislative Assembly of Delhi for its consideration and approval.

2. The Bill is intended to achieve the aforesaid objectives.

(SHEILA DIKSHIT)

Finance Minister/Chief Minister

Delhi,

March, 2012

### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

P. N. MISHRA, Secy.

### DIRECTORATE OF EDUCATION

#### CORRIGENDUM

Delhi the 21st March, 2012

**F. D.E. 4(2)/286/E.IV/2003/1030.**—Please read as “Graduate with Bachelor’s of Physical Education (B.P. Ed) or its equivalent”. in place of “Graduate with Bachelor’s or Physical Education (B.P. Ed) or its equivalent.” appearing in column no. 7 of essential qualification at page 5 in SCHEDULE annexed with the Directorate of Education’s Notification No.F. D.E. 4(2)/286/E.IV/2003/17900, dated 9th December, 2011 of Recruitment Rules for the post of Physical Education Teacher published in Delhi Gazette (EXTRAORDINARY), No. 200, PART-IV, dated 9th December, 2011.

SURESH GUPTA, Addl. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 21 मार्च, 2012

सं. फा. 7(171)/2011/प्रशा./पीएफए/13674-86.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल, पूर्व खाद्य अपभिश्रण विभाग जिसका नाम खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार हो गया है में विभाग के पाँच पदों को पुनः नामित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार तत्काल आदेश देते हैं :—